

**कार्यालय,
प्रतिष्ठान, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश मन्चनक।**

संख्या:- शासित/परिषद सम्बद्धता/2022/11127

सम्बद्ध दिनांक: 23-12-2022

:-कार्यालय प्रेष:-

शासित संस्था (विशेष) 888/2022 एवं 847/2022 में सा. अनुसंधान स्थापनाएं द्वारा प्राथमिक अंशकालीन दिनांक 21-10-2022 के अनुसंधान में कार्यशील प्राथमिक अंशकालीन शिक्षिका, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सैलिक नम 2022-23 हेतु रिजोना इन कार्पोरेट प्रोसेसिंग हेतु अनुसंधान प्रदान किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० मन्चनक से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक मंगल हुई। बैठक के समिति द्वारा नम 2022-23 हेतु सी०सी०आई० द्वारा सर्व शिक्षा अभियान इन कार्पोरेट प्रोसेसिंग को उ०प्र० अनुसंधान के अनुसंधान से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक एवं विवेक के अनुसंधान में विश्व संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० मन्चनक द्वारा नम 2022-23 हेतु विभाजित करने के अर्थ में प्राथमिक अनुसंधान एवं उ०प्र० अंशकालीन अंशकालीन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम:- 4204, रिड्डी सिड्डी कार्टेल आक कार्पोरेट, कुम्भा नगर, नगरपालिका परिषद, भरवारी, जिला-कौशांबी।			
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	सी०सी०आई० द्वारा नम 2022-23 हेतु अनुसंधान प्रदान किया गया	परिषद द्वारा नम 2022-23 हेतु अनुसंधान प्रदान किया गया
1	रिजोना इन कार्पोरेट	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ संस्था सी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गई शर्तें सभी का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उ०प्र० अंशकालीन प्राथमिक शिक्षा परिषद नम 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, मेमबर विनियमकारी-2016 तथा नम 2000-2001 पर निर्भर आगवारी को अनुसंधान करेगी तथा अनुसंधान समिति द्वारा निर्धारित अनुसंधान प्रदान किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा। उ०प्र० के अतिरिक्त साधन/साधनाओं से अनुसंधान के सम्बन्ध में नम 2000-2001 पर निर्भर किये जाने वाले आगवारी प्रवृत्तियों को, और अनुसंधान कार्यकारी शिक्षा प्रदान करवाया जाएगा। बीच निर्धारण समिति द्वारा यदि नम 2022-23 हेतु बीच का अनुसंधान प्रदान किया जाता है, तो बीच की समीक्षा को लागू करेगी।
- ✓ संस्था में अनुसंधान प्रदान करीला परिषद द्वारा अंशकालीन साधनों को ही प्रदान किया जाएगा।
- ✓ संस्था को नम 2000-2001 पर निर्भर आगवारी के अनुसंधान निर्धारण एवं सम्बद्धता अनुसंधान प्रदान किया जाएगा।
- ✓ सम्बन्धित उ०प्र० अंशकालीन आगवारी प्रदान करने वाले विधि/विषय/अतिरिक्त/आगवारी/विधि/विधि एवं विवेक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र० अनुसंधान प्रदान करीला परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा प्रदान करने वाले विषयों, विनियमों, शर्तों, विधि/विधि का पालन करने के लिए आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्थाओं का सी०सी०आई० में अनुसंधान प्रदान किया जाता है तो इन नम 2000 से सम्बन्धित उ०प्र० अंशकालीन संस्था का होगा और विधि/विधि एवं विधि की कार्यकारी के लिए संस्था नम 2000-2001 पर निर्भर करेगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसंधान प्रदान करीला परिषद, प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उ०प्र० अंशकालीन के बिना ही सर्व साधन प्रदान किया जाता है तथा साधन साधन के संबंध में सा. स्थापनाएं प्रदान किनी प्रदान की अनुसंधान प्रदान अंशकालीन प्रदान किया जाता है तो सम्बन्धित अनुसंधान प्रदान को करनी करेगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुसंधान प्रदान करीला परिषद उ०प्र० अंशकालीन प्रदान करेगी के लिए अंशकालीन प्रदान करीला हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० मन्चनक द्वारा अंशकालीन प्रदान करीला परिषद कार्यालय को उ०प्र० मन्चनक प्रदान किया जाएगा एवं प्रदान की। प्राथमिक शिक्षा के साधन में प्रदान करीला के अंशकालीन प्रदान करीला की करेगी।

Pran


- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत तृतीयतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक विभा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, ग्राफ, मात्र-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेसिद रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाए जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य मात्र-सजा पीपीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(एफ०आर० बान)
सचिव।

तदिनांक: 23-12-2022

पू०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2022/11128-11211

प्रतिनिधि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, रिट्डी सिट्डी कालेज आफ फार्मेसी, कृष्णा नगर, नगरपालिका परिषद, भरवारी, जिला-कोशाम्बी


(एफ०आर० बान)
सचिव।

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय शपथ:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4204-RIDDHI SIDDHI COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआईओ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जीव के विस्तृत माननीय न्यायालय में पंजीकृत रिट पाठिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लेब उपकरण) अद्य उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों प्रथकी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परीक्ष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु परीक्ष का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्ष की नवीनताम दत्ते लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि-विनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनये गये विनयों, विनियमों, अदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के ओपक स्पष्टीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राशिक्ष/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RIDDHI SIDDHI COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव